न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टीए./2004/3030/भरतपुर

1– सुनील) पुत्रान सीयाराम नाबालिगान जरिये वली माता
2– सौरभ) मु0 सरोज पत्नि सीयाराम
समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– किशनलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–
1/1– हरभेजी बेवा किशनलाल
1/2– कमलसिंह पुत्र स्व. किशनलाल
1/3– मन्तो पुत्री स्व. किशनलाल
1/4– भूरी पुत्री स्व. किशनलाल
1/5– सुफेदी देवी पुत्र स्व. किशनलाल
2– कमलसिंह पुत्र किशनलाल
समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित–
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 24 मार्च, 2021

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 16–3–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम जटमासी तहसील रूपवास में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–1141 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा एवं ग्राम बिरूआ तहसील रूपवास में स्थित आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर–402 मिन रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा व 406 मिन रकबा 4 बीघा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की बहिस्सा बराबर की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। जिसके बाबत प्रार्थीगण वादीगण सुनील आदि ने विद्वान सहायक कलेक्टर, बयाना के न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने बाबत नियमित राजस्व वाद पत्र अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण किशनलाल आदि के विरूद्ध प्रस्तुत किया एवं धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने एवं रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने बाबत पाबन्द किये जाने की प्रार्थना चाही। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में अपने निर्णय दिनांक 2–5–2002 के द्वारा अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसको उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16–3–2004 द्वारा स्वीकार करके प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4– निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–3–2004 कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के एकदम विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रार्थीगण वादीगण ने महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य वोटर लिस्ट, वारिस प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, राशन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत किये, जिसके आधार पर यह संदेह के परे साबित हो गया था कि प्रार्थीगण वादीगण के पिता सीयाराम, किशनलाल का ही जायन्दा पुत्र है, उक्त बिन्दू को गहराई से विवेचन करने के बाद ही अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 2–5–2002 द्वारा अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिसको बिना किसी आधार के मनमाने तौर पर अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज करने में महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। वादग्रस्त भूमि बाबत अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने प्रतिदावा (काउन्टर क्लेम) पेश ही

नहीं किया एवं ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–3–2004 के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो कानूनी प्रावधानों के एकदम विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

5– अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक नहीं है इस कारण निगराकार को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय विधिसम्मत, तर्कसंगत व न्यायसंगत है। निगरानी में कोई ठोस व सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र सीपीसी के आदेश–22 नियम–10(ए) के अन्तर्गत अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दिनांक 7–9–2009 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रति निगराकार के अभिभाषक को प्रदान की गई। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या–1 किशनलाल का देहान्त दिनांक 17–7–2009 को हो गया है और उसके विधिक वारिसान निम्न बताये गये हैं :–

1/1– हरभेजी बेवा किशनलाल
1/2– कमलसिंह पुत्र स्व. किशनलाल
1/3– मन्तो पुत्री स्व. किशनलाल
1/4– भूरी पुत्री स्व. किशनलाल
1/5– सुफेदी देवी पुत्र स्व. किशनलाल

8– अप्रार्थी संख्या–2 कमलसिंह पुत्र किशनलाल पहले से ही पक्षकार है, शेष वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर निगराकार को सीपीसी के आदेश–22 नियम–3, 4 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था लेकिन लगभग 12 वर्ष बाद भी उन्होंने ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये कमलसिंह पुत्र किशनलाल को छोड़कर अप्रार्थी संख्या–1 किशनलाल के शेष वारिसान के विरूद्ध यह निगरानी ''अबेट'' घोषित की जाती है।

9– अप्रार्थीगण का कथन है कि निगराकार मृतक किशनलाल के विधिक वारिस नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें कथन किया गया है कि मृतक किशनलाल की एक पत्नी थी हरभेजी एवं दूसरी पत्नी रमूली थी जिसका पुत्र सियाराम था जिसके पुत्र निगराकार बताये जाते हैं। इस संबंध में निगराकार ने ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह साबित होता हो कि वे मृतक किशनलाल के विधिक वारिसान हैं।

10– इसके अतिरिक्त किशनलाल ने कथन किया कि उसके भाई की पत्नी रमूली है जो उसकी पत्नी हरभेजी की सगी बहन है। किशनलाल का भाई अमरचन्द व रमूली के नुत्फे से सियाराम व शिवचरण लड़के तथा रजनी व फूलन दो पुत्रियां हैं। इस संबंध में निगराकार को किशनलाल का वंशज होने के दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिये। लेकिन निगराकार ने ऐसा नहीं किया। इसलिये बिना दस्तावेज के उन्हें मृतक किशनलाल का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता है।

11– जहां तक राजस्व रिकार्ड की बात है, जो जमाबन्दी पत्रावली में संलग्न है उसमें किशनलाल खातेदार हैं। निगराकार अपने घोषणा के दावे में खातेदारी अधिकार घोषित कराने के लिये आये हैं। यह सिद्ध करने के लिये उन्हें चार पीढ़ियों का शजरा प्रस्तुत करना चाहिये था और चार पीढ़ियों का ही राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत करना चाहिये था, जो कि उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। खसरा गिरदावरी को अधिकार विलेख (Record of Right) नहीं माना जाता है। अतः जमाबन्दी के अभाव में विवादित भूमि को पैतृक नहीं माना जा सकता है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का आक्षेपित निर्णय दिनांक 16–3–2004 विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। इस निगरानी में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे उसे स्वीकार किया जा सके।

12– अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी में कोई ठोस एवं सारभूत तथ्य नहीं होने के कारण यह निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये व पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य